13.6.25 वकील उभयपक्ष हाजिर/ [illegible] आवेदन/मुकदमा में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा होने से मुकदमा में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य कोई विवाद नहीं होने से तनकी कायम किया जाना उचित नहीं है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 18.7.25 को पेश हो।

18.7.25 वकील उभयपक्ष उप०/ साक्ष्य वादी में बयान [illegible] पेश हुए/ [illegible] महावीर का साक्ष्य [illegible] पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 28.7.25 को पेश हो।

28.7.25 वकील उभयपक्ष उप०/ बहस हेतु समय चाहा/ पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 14.8.25 को पेश हो।

14.8.25 वकील उभयपक्ष उप०/ बहस सुनी गई/ पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 26.8.25 को पेश हो।

26.8.25 वकील उभयपक्ष उप०/ बाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया/ डिक्री पर्चा [illegible] स्टाम्प [illegible] जारी किया जावे/ पत्रावली बाद तकमील [illegible] दाखिल अभिलेखागार हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.09.25 11:20:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अनवान विकास बनाम रेणु
वाद मुकदमा नं. 45/2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – नयन गौतम, आई.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 45/2025

अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. विकास पुत्र श्री महावीर जाति कुम्हार निवासी गणेशगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
2. अनीता पत्नी श्री महावीर जाति कुम्हार निवासी गणेशगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. रणवीर पुत्र श्री लालचन्द जाति कुम्हार निवासी गणेशगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
4. सुभाष पुत्र श्री लालचन्द जाति कुम्हार निवासी गणेशगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

.........वादीगण

ब ना म

1. रेणु पुत्री श्री महावीर पत्नी श्री संदीप कुमार जाति कुम्हार निवासी गणेशगढ हाल वार्ड नम्बर 3, खुंजा, हनुमानगढ जंक्शन
2. रोशनी देवी उर्फ सरोज पुत्री स्व0 श्री लाल चन्द पत्नी श्री जगदीश निवासी गणेशगढ हाल खानक तहसील तोशाम जिला भिवानी (हरियाणा)
3. विमला देवी पुत्री स्व0 श्री लाल चन्द पत्नी श्री रणवीर जाति कुम्हार निवासी गणेशगढ हाल 3 जी डी घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित–अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा	वादीगण
अधिवक्ता श्री सुरेश अरोड़ा	प्रतिवादी 1 ता 3
पैरोकार राज	(प्रति.–4)

–:: निर्णय ::–

दिनांक 26.08.2025

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादी संख्या 1 के दादा, 2 के ससुर व वादी संख्या 3 [illegible] श्री [illegible] के नाम से वाके चक 28 एल एन पी प्रथम तहसील व जिला श्रीगंगानगर के [illegible] 41 व 49 में 1.265 है0 कृषि भूमि दर्ज कागजात माल थी। श्री लालचन्द [illegible] चुका है। जिनकी वंशावली निम्न प्रकार से हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.09.25 11:20:28 IST
Reason: SelfAttested

Gauta
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

लालचन्द (वादीगण के दादा/ससुर/पिता)

महावीर (मृतक पुत्र)	रणवीर (पुत्र)	सुभाष (पुत्र)	रोशनी उर्फ सरोज (पुत्री)	विमला देवी (पुत्री)

स्वर्गीय श्री लालचन्द के एक पुत्र महावीर का देहान्त हो चुका है, जिसके कुल तीन विधिक वारिसान वादीगण सं 1 व 2 व प्रतिवादीया संख्या 1 हैं। प्रतिवादिया संख्या 2 का नाम जमाबन्दी में रोशनी देवी पत्नी स्व0 श्री लाल चन्द अंकित है, जो कि लिपिकीय त्रुटि है। प्रतिवादी संख्या 2 स्वर्गीय श्री लाल चन्द की पुत्री है। अतः इसे रोशनी देवी उर्फ सरोज पुत्री स्व0 श्री लाल चन्द पढा व माना जावे। स्व0 श्री लाल चन्द द्वारा अपनी उक्त वर्णित आराजी का अपने जीवन काल में घरू मौखिक बंटवारा कर दिया था तथा उक्त वर्णित भूमि वादी संख्या 1 व 2 के पिता/पति श्री महावीर तथा वादी संख्या 3 व 4 रणवीर व सुभाष को वहिस्सा बराबर बंटवारा में दी थी। वर्तमान में घरू बंटवारा के अनुसार वादी संख्या 2 उक्त भूमि में से 1/3 हिस्सा पर, वादी संख्या 3 उक्त भूमि में से 1/3 हिस्सा पर तथा श्री महावीर का देहान्त हो जाने के कारण वादी संख्या 1 व 2 दोनों 1/3 हिस्सा पर काविज चले आ रहें है तथा मौका पर वादीगण की फसले खड़ी हैं। श्री लाल चन्द द्वारा वादीगण से कहा हुआ था कि जब भी तुम चाहोगें उक्त भूमि सहमति से तुम्हारे नाम पर करवा दूंगा। इसी विश्वास पर वादीगण ने अपने हक वा हिस्सा की भूमि में बड़ी मेहनत करके व काफी धन खर्च करके विकास कार्य करवाए हैं तथा अब भूमि काफी उपजाउ हो गई है। मगर दुर्भाग्य से सहमति से बंटवारानामा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने से पूर्व ही श्री लाल चन्द का देहान्त हो गया। श्री लाल चन्द के देहान्त के पश्चात उक्त भूमि वर्तमान जमाबन्दी में वाके चक 28 एल एन पी प्रथम तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 61/57 के मुरब्बा नम्बर 41 व 49 की कुल 6.262 हैक्टेयर नहरी बारानी मय खाला कृषि भूमि में से वादी संख्या 1 विकास के नाम से 39/3131 हिस्सा वादी संख्या 2 अनीता के नाम से 577/31310 हिस्सा, वादी संख्या 3 रणवीर के नाम से 1227/31310 हिस्सा, वादी संख्या 4 सुभाष के नाम से 611/15655 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 रेणु के नाम से 39/3131 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 रोशनी देवी उर्फ सरोज (जिसका नाम जमाबन्दी में रोशनी पत्नी स्व0 लाल चन्द अंकित है) के नाम से 1227/31310 हिस्सा कृषि भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 3 विमला देवी के नाम से 611/[illegible] सयुंक्त खाता में कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबन्दी [illegible] है। श्री लाल चन्द के देहान्त के पश्चात प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को यह विश्वास दिलाया था कि जब भी तुम चाहोगें सहमति से भूमि घरू बंटवारा अनुसार तुम्हारे नाम से दर्ज करवा देगें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.09.25 11:20:28 IST
Reason: SelfAttested

Gautam
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण अपने हिस्सा की भूमि में और अधिक सुधार कार्य करवाना चाहते है, मगर राजस्व रिकार्ड में भूमि वादीगण के नाम से दर्ज नहीं होने के कारण वह ना तो ज्यादा सुधार कार्य करवा पा रहे है तथा मामला लगान अदायगी पानी बारी के समय आदि को लेकर विवाद बना रहता है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को उक्त भूमि वादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करवाने के लिए कई बार आग्रह किया है, पहले तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहें, दिनांक 16.02.2025 को उन्होने सहमति से खाता विभाजन करने से साफ इन्कार कर दिया, यही वाद कारण है। उक्त आराजी अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के अन्तर्गत आता है तथा उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। प्रतिवादी संख्या 4 लैण्ड होल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार है, तथा उसे पक्षकार बनाया गया है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावेः–

1. चक 28 एल एन पी प्रथम तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 61/57 के मुरब्बा नम्बर 41 व 49 की कुल 6.262 हैक्टेयर नहरी बारानी मय खाला कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 रेणु के नाम से दर्ज 39/3131 हिस्सा भूमि का वादीगण संख्या 1 व 2 विकास पुत्र महावीर व अनीता पत्नी महावीर को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि वादीगण संख्या 1 व 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की जावे।
2. चक 28 एल एन पी प्रथम तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 61/57 के मुरब्बा नम्बर 41 व 49 की कुल 6.262 हैक्टेयर नहरी बारानी मय खाला कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 2 रोशनी देवी उर्फ सरोज (जिसका नाम जमाबन्दी में रोशनी पत्नी स्व0 लाल चन्द अंकित है) के नाम से दर्ज 1227/31310 हिस्सा कृषि भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 3 विमला देवी के नाम से दर्ज 611/15655 हिस्सा भूमि में से वादी संख्या 1 व 2 विकास व अनीता दोनों को 1/3 हिस्सा का बहिस्सा बराबर तथा वादी संख्या 2 रणवीर को 1/3 हिस्सा का तथा वादी संख्या 3 सुभाष को 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि उक्तानुसार वादीगण के नाम से दर्ज की जावे।

(3) खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

(4) अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया [illegible] प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा [illegible] सहमति से प्रकरण में राजीनामा पेश किया गया जिसमें कथन किये गये कि उपरा[illegible] अनवान के वाद में प्रथम पक्ष वादीगण एवं द्वितीय पक्ष प्रतिवादीगण का पंचायत के मौजूज व्यक्तियों ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा करवा दिया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 वादग्रस्त भूमि में से कोई हक

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.09.25 11:20:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

वा हिस्सा लेना नहीं चाहती हैं तथा अपने हक वा हिस्सा का परित्याग वादीगण के पक्ष में करती हैं। इसलिए वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र में चाहे गए अनुतोष अनुवार वाद डिक्री किया जावे। इसमें प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि प्रतिवादीगण पूर्णतया सहमत हैं। यह राजीनामा दोनों पक्षों ने अपनी स्वंय की इच्छानुसार, बिना किसी नशा पता तथा बिना किसी दबाव के अपने पूर्ण होशोहवास में सुन व समझ कर टंकित करवाया है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य किसी प्रकार का विवाद नहीं होने एवं वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा होने के कारण प्रकरण में तनकी कायम नहीं की गई।

साक्ष्य वादी में वादी विकास पुत्र श्री महावीर जाति कुम्हार निवासी गणेशगढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया। साक्ष्य वादी में जमाबंदी चक 28 एलएनपी प्रथम खाता संख्या 61/57 प्रदर्श–1, कार्यालय ग्राम पंचायत गणेशगढ द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रदर्श–2, वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र तादादी 50 /– रूपये प्रदर्श– 3 है। विरास्तन जमाबंदी चक 28 एलएनपी खाता संख्या 378/57 प्रदर्श–4 प्रदर्शित करवाये गये।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी चक 28 एलएनपी प्रथम खाता संख्या 61/57 प्रदर्श–1, कार्यालय ग्राम पंचायत गणेशगढ द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रदर्श–2, वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र तादादी 50/– रूपये प्रदर्श– 3 है। विरास्तन जमाबंदी चक 28 एलएनपी खाता संख्या 378/57 प्रदर्श–4 का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जमाबन्दियों के साक्ष्य से वादग्रस्त आराजी का पैतृक होना साबित होता है। प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है। वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य पारिवारिक सहमति हो चुकी है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तवेजात एवम् जमाबन्दी साक्ष्य के अवलोकन से न्यायालय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाता है।
हमने इस सम्बंध में आरआरडी 1981 पेज 512 आरटीए की धारा 40–53, 38–39–40, आरआरडी 1966 पेज 71 एआईआर 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आरआरडी पेज 219 आरआरडी 1975–478, एआईआर 1966 (एससी) 432 आरआरडी 1975 पेज 489 की नजीरों का अवलोकन किया।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्युद्ध अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। हिन्दु उतराधिकार विधि के अनुसार का पैतृक सम्पंति में जन्म से ही अधिकार है।

मुताबिक एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है।

—:: आदेश ::—

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.09.25 11:20:28 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार [illegible] जाकर चक 28 एल एन पी प्रथम तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या [illegible] के मुरब्बा नम्बर 41 व 49 की कुल 6.262 हैक्टेयर नहरी बारानी मय खाला कृषि भूमि में [illegible]तिवादी संख्या 1 रेणु के नाम से दर्ज 39/3131 हिस्सा भूमि का वादीगण संख्या 1 व 2 विकास पुत्र महावीर व अनीता पत्नी महावीर को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त भूमि वादीगण

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 1 व 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की जावे। चक 28 एल एन पी प्रथम तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 61/57 के मुरब्बा नम्बर 41 व 49 की कुल 6.262 हैक्टेयर नहरी बारानी मय खाला कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 2 रोशनी देवी उर्फ सरोज (जिसका नाम जमाबन्दी में रोशनी पत्नी स्व0 लाल चन्द अंकित है) के नाम से दर्ज 1227/31310 हिस्सा कृषि भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 3 विमला देवी के नाम से दर्ज 611/15655 हिस्सा भूमि में से वादी संख्या 1 व 2 विकास व अनीता दोनों को 1/3 हिस्सा का बहिस्सा बराबर तथा वादी संख्या 3 रणवीर को 1/3 हिस्सा का तथा वादी संख्या 4 सुभाष को 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त भूमि उक्तानुसार वादीगण के नाम से दर्ज की जावे।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि के बैंक रहन मुक्त होने की दशा में नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 26.08.2025 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नयन गौतम) आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.09.25 11:20:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner